



29

## समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर कैम्प, भोपाल

R7084PB277 प्रकरण क्रमांक .....

जियन्दराम दावानी (जे.आर.दावानी) ✓

आ. श्री वरन्दमल दावानी, व्यस्क,

निवासी 6, लक्ष्मी कम्पाउण्ड ईंदगाह

हिल्स, भोपाल। .....आवेदक/याचिकाकर्ता

विलङ्घ

1- संजीव शर्मा आ. श्री आर.पी.शर्मा

निवासी ई-8 अरेरा कालोनी, भोपाल।

2- म.प्र.शासन। .....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम

याचिकाकर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ

स्टाम्प, भोपाल-2 जवाहर चौक, 12 दफ्तर, शेड क्र. 4,

भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 121/बी-103/2013-14

/धारा-33 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2015 के

विलङ्घ निम्नानुसार याचिका प्रस्तुत करता है :-

9/25

०५

भारतीय स्टाम्प अधिनियम  
संख्या १०३/२०१३  
दिनांक ०६.०७.२०१५  
द्वारा दिलाई गई।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7084—पीबीआर/17

जिला भोपाल

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
6-2-2018	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला भोपाल के आदेश दिनांक 6-7-2015 के विरुद्ध दिनांक 30-3-2017 को डेढ़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये हैं, वह समाधान कारक नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	